न्यायालय उपखण्ड अधिकारी केकड़ी जिला अजमेर

राजस्व वाद 302/2016 (2016/00577)

कैलाश दत्तक पुत्र सूरजमल जाति बाबर निवासी चापानेरी तहसील भिनाय जिला अजमेर हाल गोपालपुरा अजमेर रोड केकड़ी जिला अजमेर।

——वादी

♠ बनाम ♠

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार केकड़ी जिला अजमेर राज.।

—— प्रतिवादी

(वाद पत्र अंतर्गत धारा 88,89, राज.काश्तकारी अधिनियम)

—:: निर्णय ::—

दिनांक 04/01/2022

प्रकरण के तथ्य संक्षेप मे इस प्रकार है कि ग्राम केकड़ी पटवार मण्डल केकड़ी में स्थित आराजी की जमाबन्दी सं 2069–72 की निम्नानुसार आराजीयात है:–

खाता स नया–पुराना	खसरा नम्बर नया–पुराना	रकबा	किस्म
877–822	6035 6563 6564 6578	0.38 0.0200 0.5200 0.3000	बरानी 1 गै.मु.चाह चा.2,जा.2 जा.2
	कुल किता 4	कुल रकबा 1.42	

उक्त आराजीयात वादग्रस्त आराजीयात के पैरा स. 1 में वर्णित आराजीयात स्व.नाथी के नाम बतौर खातेदार दर्ज है स्व.नाथी पुत्री स्व. कल्याण जाति बाबर निवासी केकडी का विवाह स्व. सूरजमल पुत्र औंकार जाति बाबर ग्राम चापानेरी तहसील भिनाय जिला अजमेर के साथ हुआ था। स्व. नाथी पुत्री स्व.कल्याणपत्नि स्व. सूरजमल का निधन ग्राम चापांनेरी में हो गया था तथा स्व.नाथी के पत्नि स्व. सूरजमल पुत्र औकार का निधन,स्व. नाथी के निधन से पूर्व हो गयाथा। स्व. नाथी पत्नि सूरजमल नाऔलाद फोत हो गई। स्व.नाथीपुत्री स्व. कल्याण पत्नि स्व. सूरजमल तथा स्व.सूरजमल ने अपने जीवनकाल में वादी को गोद लिया तथा स्व.नाथी तथा स्व.सूरजमल की अन्तिम समय तक सेवा सुश्रषा भी वादी ने ही की थी। ग्राम चापानेरी स्थित स्व.नाथी के राजस्व रिकॉर्ड एंव राशनकार्ड तथा संरपच द्वारा जारी प्रमाणपत्र के अनुसार वादी को दत्तक पुत्र है। स्व. नाथी की ग्राम चापानेरी स्थित भूमि भी वादी के नाम दर्ज की गई है। जिस कारण ही वादी स्व. नाथी का उत्तराधिकारी होने से स्व.नाथी की केकडी स्थित आराजीयात पर खातेदारी अधिकार प्राप्त कराना चाहता है। वाद पत्र मे वर्णित आराजीयात पर वादी का कब्जा काश्त चला आ रहा है। वादी का वादपत्र में वर्णित आराजी पर बिना रोक टोक काश्त कर रहा है। वादी वादग्रस्त आराजीयात का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाना न्यायोचित हैं। वादग्रस्त आराजीयात पर वादी के कब्जा काश्त में अन्य व्यक्तियों के बाधा पहुचाने के लिये आमादा होने के कारण दिनांक 19.6.16 को उत्पन्न हुआ एंव प्रतिदिन उत्पन्न हो रहा है । वादी के वादग्रस्त आराजी से अन्य व्यक्तियों के द्वारा कब्जा काश्त में बाधा उत्पन्न होने के कारण वाद प्रस्तुत किया है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को तलब किया गया। प्रतिवादी द्वारा जवाब पेश किया गया।

शहादतवादी में वादी ने शपथ पत्र पेश कर स्वयं को परिक्षित करवाया तथा दस्तावेज पेश किये–प्रदर्श 1, जमाबन्दी संवत् 2069 से 72 प्रदर्श–2 औकार का विरासतनामा प्रदर्श 3 नामान्तकरण संख्या 168 दिनांक दिनांक 30.06.1992 ग्राम चांपानेरी की नकल, प्रदर्श–4 नामान्तकरण हेतु तहसीलदार भिनाय को प्रस्तुत प्रार्थना पत्र। वादी ने दावा डिग्री करने की प्रार्थना की। नाती के स्थान पर खातेदार घोषित करने की प्रार्थना की।

वकीलवादी ने वाद पत्र में अंकित कथनों को [illegible] तथा दावा डिग्री करने की प्रार्थना की। वादी का वाद स्वीकार किया [illegible] की जमाबन्दी संवत् 2069–72 के खाता संख्या नया पुराना 877–822 [illegible] के स्थान पर वादी कैलाश दत्तक पुत्र सुरजमल जाती बाबर नि. चापानेरी तह. भिनाय को खातेदार काश्तकार [illegible] किया जाता हैं। इस आशय का डिग्री पर्चा जारी हो। खर्चा [illegible]केन अपना–अपना वहन [illegible] निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
केकड़ी (अजमेर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2022.01.14 11:20:08 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner